न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
02/2020	18/02/2020	25/11/2025

हरिशंकर पुत्र श्री रामप्रकाश जाति कलाल निवासी रेलवे कोलोनी, सवाईमाधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. मकबूला पुत्र ख्वाजू जाति मुसलमान निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज
2. रामनाथ पुत्र कान्हा जाति बैरवा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज
3. ग्राम पंचायत करवाड जारिये सरपंच ग्राम पंचायत करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा राज

अप्रार्थीगण

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री नन्दकिशोर पारेता एड0।

प्रार्थना अत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम शोभागपुरा, पटवार हल्का शौभागपुरा, भू0 अभि0 निरीक्षक क्षेत्र करवाड़, तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज में खसरा नंबर 288/577 रकबा 0.90 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार कृषक है तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अभिधारी है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर खेती करता आ रहा है। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त के उपरोक्त वर्णित खेत में जाने का एकमात्र परपंरागत रास्ता खसरा नंबर 275, 274, 273, 272, 272/949 में होकर खसरा नंबर 245 में गै. मु. सड़क, सार्वजनिक निमाण विभाग खण्ड इटावा तक जाता है। खसरा नंबर 275 रकबा 1.05 हेक्टेयर में गै.मु. रास्ता, खसरा नंबर 274 रकबा 1.42 हेक्टेयर बारानी प्रथम मकबूला पुत्र ख्वाजू मुसलमान नि0 केशोपुरा की गैर खातेदारी, खसरा नंबर 273 रकबा 0.88 हेक्टेयर बारानी, खसरा नंबर 272 रकबा 0.30 हेक्टेयर बारानी प्रथम, खसरा नंबर 272/549 रकबा 1.13 हेक्टेयर बारानी प्रथम रामनाथ पुत्र कान्हा जाति बैरवा निवासी केशोपुरा की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के खेत का उक्त एकमात्र रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। अधिकांश भू सरकारी सिवाय चक होने से कुछ लोग इस भूमि पर अवैध अतिक्रमण करते है

जिसके कारण प्राथी के रास्ते के वैधानिक अधिकार व सुखाधिकार हनन होता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते के खेत खसरा नंबर 288/577 रकथा 0.90 हेक्टेयर से खसरा नंबर 275, 274, 273, 272, 272/549 में होकर खसरा नंबर 245 गैर मुमकिन राड़क, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड इटावा 15 फीट चौड़ा रास्ता घोषित करवाकर उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड में करवाना चाहता है। प्राथी उक्त रास्ते की घोषणा कराने राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी अपने उक्त खाते के जोत में जाने के लिये खसरा नंबर 275, 274, 273, 272, 272/549 में होकर खसरा नंबर 245 राड़क तक जाने वाले परपंरागत व पुराने रास्ते का उपयोग कर रहा है। खेती बाड़ी, ट्रेक्टर, कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने में उक्त रास्ते का उपयोग करता आ रहा है। उक्त रास्ता वर्षो पुराना है जिसका रास्ते के रूप में उपयोग हो रहा है किंतु उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में नहीं है। इस कारण अतिक्रमी लोग इस रास्ते में रूकावटे, अवरोध पैदा करते रहते है जिसके कारण प्रार्थी के उक्त रास्ते के उपयोग में बाधा पैदा होती है तथा प्रार्थी को खेत पर आने जाने, ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी उक्त 15 फीट चौड़ें रास्ते को आम रास्ता घोषित करवाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन करावे। प्रार्थी को यह विधिक अधिकार है कि वह अपने खेत से आम सड़क तक 15 फीट चौड़े रास्ते को आम रास्ता घोषित करवाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उपरोक्त वर्णित रास्ते को आम रास्ता घोषित करवाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाने हेतु प्रार्थना की किंतु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के निवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थी एवं अप्रार्थीक्रम 1 व 2 के मध्य रास्ते का विवाद पारंपरिक सहमति से तय नहीं हो पाया तथा अप्रार्थी क्रम 3 व 4 ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है। इस कारण न्यायालय श्रीमान में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। खसरा नंबर 274 भद्रा के क्रम 1 मकबूला की गैर खातेदारी, खसरा नंबर 272/549 अप्रार्थी क्रम 2 रामनाथ की खातेदारी में दर्ज है। इस कारण उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। खेत पर आने जाने हेतु रास्ता निर्धारित करने हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत को प्राथमिक क्षेत्राधिकार होता है। इस कारण ग्राम पंचायत करवाड़ को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। खसरा नंबर 275 गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नंबर 272 व 273 राजस्थान

सरकार के खाते दर्ज है। इस कारण भू धारक तहसीलदार पीपल्दा को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 288/577 वाके ग्राम शोभागपुरा से खसरा नंबरान 275, 274, 273, 272/549 में होकर खसरा नंबर 245 सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड इटावा तक 15 फीट चौड़े रास्ते को आम रास्ता घोषित कर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नकार देश में तरमीम कर अमन दरामद करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री नन्दकिशोर पारेता एड0 ने पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार के अनुसार प्रार्थी के ग्राम सौभागपुरा में खातेदारी ख0नं0 288/577 रकबा 0.90है0, में आने जाने हेतु ग्राम सौभागपुरा के ख0नं0 275 रकबा 1.05है0, किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु रास्ते में मौके के अनुसार ग्राम केशोपुरा माल की तरफ का पानी होकर निकलता है। जिससे उक्त ख0नं0 के ड्रेन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी अपने उक्त खाते के खेत में जाने के लिए ख0नं0 275 रकबा 1.05है0 गै0मु0 रास्ते का उपयोग करता है। खेतीबाडी, कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने में उक्त रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आत्यन्तिक आवश्यकता का नहीं होकर सुविधाजनक उपभोग के लिए है। जिसे स्वीकार किया जाना नियमानुकूल नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा